संo-22011/277/2017-केoहिoप्रoसंo/अoविo(टंo/आo)/पार्ट-I/. 2342

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

25 JUL 2017

विषय:- कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल का ही परिचय दिए जाने तथा उसी के अनुरूप अभ्यास करवाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले पांच दिवसीय "कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अंतर्गत हिंदी टंकण अभ्यास के मद में भाषा प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्य समन्वयकों द्वारा फोनेटिक कीबोर्ड/माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से। जो कि प्रशिक्षण की एकरूपता की दृष्टि से उचित नहीं है और राजभाषा विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2012 के पत्र संख्या-12015/13/2011-रा.भा.(तक.) के पैरा 6 द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप नहीं है।

अत: प्रशिक्षण की एकरूपता बनाए रखने के लिए और राजभाषा विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2012 के उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों/उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) और मुख्य समन्वयकों को यह निदेश दिया जाता कि इन पांच दिवसीय "कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों" में प्रशिक्षार्थियों को केवल इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल का ही परिचय दिया जाए और उसी के अनुरूप अभ्यास करवाया जाए।

कृपया सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी मुख्य समन्वयक तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और उनके स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी दें।

(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक

सेवा में

उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) नई दिल्ली।
उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना मध्योत्तर/पश्चिम/दक्षिण /पूर्वोत्तर/पूर्व

प्रतिलिपि:

(1) संयुक्त निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय) नई दिल्ली।
(2) सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक/हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय) नई दिल्ली।
(3) सभी संबंधित मुख्य समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

सं .12015/13/2011-रा.भा.(तक)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक : 17 फरवरी, 2012

प्रेषक – ए.एन.पी. सिन्हा,
सचिव ।
सेवा में – सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार ।

विषय : केन्द्र सरकार एवं उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों एवं उपक्रमों में कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना ।

महोदय,

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों के सही कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार एवं उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों एवं उपक्रमों में कंप्यूटरों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों में हिंदी में काम करने की पूरी व्यवस्था हो ताकि कर्मियों को हिंदी में काम करने में आसानी हो । इस प्रसंग में निम्न कारवाई आवश्यक होगी ।

<u>यूनिकोड एनकोडिंग</u>

2 हिंदी में कार्य करने में एक गंभीर समस्या है, विभिन्न सॉफ्टवेयरों में प्रयुक्त (used) फौन्टस का कम्पैटिबल (compatible) न होना । इस कारण हिंदी की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान-प्रदान (transfer) नहीं कर पाते हैं । हिंदी पाठ (text) को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने (paste) में भी समस्या आती है । अत: भारत सरकार ने यूनिकोड एनकोडिंग को मान्यता दी है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है । इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से सभी कार्य किये जा सकते हैं, जैसे – वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि । हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान तथा हिंदी की-वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं ।

3 अत: सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम केवल यूनिकोड कम्प्लाएन्ट फौन्टस एवं यूनिकोड के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें । यूनिकोड को install/use करना बहुत आसान है । इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की साइट (http://rajbhasha.gov.in) पर उपलब्ध है।

<u>इंस्क्रिप्ट एवं फोनेटिक की-बोर्ड</u>

4. कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए तीन की-बोर्ड विकल्प हैं – रेमिंगटन, इंस्क्रिप्ट तथा फोनेटिक। हालांकि अभी तक रेमिंग्टन की-बोर्ड पूर्व से प्रचलित होने के कारण (popular) है, तुलना में इंस्क्रिप्ट में हिंदी टंकण सीखना बहुत आसान है। इंस्क्रिप्ट ले-आउट भारत सरकार का मानक होने की वजह से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाल्ट में, यानि पहले से मौजूद रहता है। साथ ही किसी भी एक भाषा में इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड सीखने पर, सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से टंकण कर सकते हैं। अत: मात्र रेमिंग्टन की-बोर्ड पर प्रशिक्षित पुराने कर्मचारी, जिनका सेवाकाल केवल 2 वर्ष बचा हो, रेमिंग्टन में टंकण करें। शेष सभी इंस्क्रिप्ट का ही प्रयोग करें। (http://ildc.in) पर इंस्क्रिप्ट सीखने के लिए ट्यूटर उपलब्ध है।

5. सभी कंप्यूटरों के साथ केवल द्विभाषी की-बोर्ड की ही खरीद की जाए, जिसमें इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड ले-आउट अवश्य हो।

6. 1 अगस्त, 2012 से सभी नई भर्तियों के लिए टाइपिंग परीक्षा इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर लेना अनिवार्य हो। सभी प्रशिक्षण संस्थाएं हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण केवल इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर ही दें।

7. उल्लेखनीय है कि फोनेटिक की-बोर्ड में, हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी, रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए, हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं।

<u>द्विभाषी सॉफ्टवेटर एवं वेबसाइट</u>

8. सॉफ्टवेयर खरीदते या विकसित करवाते समय यह सुनिश्चित करें उसमें हिंदी में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो। किन्ही अपरिहार्य कारणों से, जैसे वैज्ञानिक कार्यों के लिए, हिंदी सॉफ्टवेयर उपलब्ध न हो सके तो ऐसे मामले राजभाषा विभाग की जानकारी में लाएं।

9. सभी मंत्रालय अपनी एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों की वेबसाइट द्विभाषी करायें तथा उनका updation हिंदी में भी, यूनिकोड कम्प्लाएन्ट फौंट में करायें।

<u>लीला सॉफ्टवेयर (हिंदी स्वयं-शिक्षण)</u>

10. इंटरनेट पर लीला (LILA-LEARN Indian Languages through Artificial Intelligence) हिंदी स्वयं-शिक्षण पैकेज के पाठ्यक्रम कईं भाषाओं (अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगला, असमी, उड़िया, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली तथा बोडो) के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए, नि:शुल्क उपलब्ध (http;//Rajbhasha.gov.in) हैं।

11. लीला से हिंदी सीखने के लिए मात्र एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर और इंटरनेट कनैक्शन आवश्यक है। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त है। हिंदी अक्षर लिखने का पाठ ग्राफिक्स के जरिये है। 'रिकार्ड एंड कंपेयर' सुविधा से प्रयोगकर्ता अपना उच्चारण मानक उच्चारण से मिलान कर सकता है। टीचर मॉड्यूल के जरिये संशोधित उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। ' फ्री एवं कंट्रोल लर्निंग' का विकल्प भी है।

श्रुतलेखन - राजभाषा (हिंदी में डिक्टेशन)

12. श्रुतलेखन-राजभाषा, एक स्पीकर - इनडिपेंडेंट, हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जो बोली गई भाषा (dictation) को डिजिटाईज करके इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट एक 'स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट' (यूनीकोड के अनुरूप) के रूप में देता है। इसका प्रयोग करें एवं फीडबैक दें।

मंत्र-राजभाषा (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)

13. "मंत्र-राजभाषा" की सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों, संकल्प आदि का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। "मंत्र-राजभाषा" इंटरनेट (http://rajbhasha.gov.in) तथा स्टैंडअलोन दोनों वर्जन में उपलब्ध है। स्टैंडअलोन वर्जन को डाउनलोड करने की सुविधा भी है।

14. प्राप्त फीडबैक के अनुसार इस पैकेज द्वारा अनुवाद का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। इसका एक कारण शब्दों एवं वाक्यों का व्यापक कार्पस का न होना है। अत: इस पैकेज को इस्तेमाल करें और फीडबैक दें, ताकि मंत्र को बेहतर बनाया जा सके।

15. विकल्प में 'गूगल ट्रांसलेशन' का प्रयोग करें। 'गूगल ट्रांसलेशन' सभी तरह के अनुवाद (हिंदी, बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू से अंग्रेजी में एवं vice versa तेज गति से करता है। गूगल में अकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर, गूगल अनुवादित वाक्यों को मेमोरी में ले लेता है जिससे भविष्य में समान पाठ (text) आने पर सही अनुवाद देता है।

ई-महाशब्दकोश

16. प्रशासनिक, वित्तिय एवं बैंकिंग, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, पर्यटन तथा शिक्षा क्षेत्र के शब्दकोश नि:शुल्क http://rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं - अर्थ एवं संबंधित जानकारी, द्विभाषी एवं द्विआयामी उच्चारण सहित शब्दकोश, खोजे गये शब्द का उच्चारण तथा संबंधित जानकारी, यूनीकोड कंप्लायंट फौंट। इसका उपयोग करें एवं फीडबैक दें।

राजभाषा विभाग का गुगल ग्रुप तथा फेसबुक पृष्ठ

17. उपर वर्णित IT टूल्स के प्रयोग में कठिनाई के समाधान आदि के लिए राजभाषा विभाग ने गुगल ग्रुप (http://groups.google.com/group/rajbhashavibhag-itsolution) तथा फेसबुक पेज (http://facebook.com पर 'राजभाषा विभाग') बनाया है। इनका सदस्य बनकर लाभ उठायें।

तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

18. राजभाषा विभाग तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए MIS सॉफ्टवेयर बना रहा है। इससे देशभर के कार्यालयों से ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त होगी एवं समय पर MIS मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि कईं नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां) ऐसे MIS स्वयं विकसित कर व्यवहार में ला रही हैं।

19. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार त्वरित कार्रवाई करें तथा अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि द्वारा इनका पालन सुनिश्चित कराएं। उपरोक्त आई.टी. टूल्स के अधिक उपयोग एवं फीडबैक से, इनमें निरंतर सुधार लाया जा सकेगा। **आपकी सुविधा के अनुसार राजभाषा विभाग आपके समक्ष प्रेजेन्टेशन देगा।**

आपका विश्वासी

(ए.एन.पी. सिन्हा)

प्रतिलिपि आवश्यक कारवाई हेतु:

(क) केन्द्र सरकार के सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम, वित्तिय संस्था के प्रमुख आदि।

(ख) सभी नराकास के अध्यक्ष/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

(ग) सदस्य, सभी मंत्रालयों के हिंदी सलाहकार समिति

प्रतिलिपि:

(क) निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को देते हुए अनुरोध है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त IT Tools का पूर्ण समावेश करें। साथ ही यथासंभव प्रशिक्षण कंप्यूटर पर हो।